न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं.:- 66/23

तिलोकाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी गुसांईसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

............प्रार्थी

बनाम

1. नोलाराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भंवरदास पुत्र शंकरदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
3. पूर्णदास पुत्र शंकरदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4. अर्जनदास पुत्र शंकरदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रूकमणी पुत्री शंकरदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
6. चन्दा पुत्री शंकरदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
7. सम्पु पुत्री शंकरदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
8. भंवरी देवी पत्नि मंगलदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
9. सीतारामदास पुत्र मंगलदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
10. संजुदास पुत्र मंगलदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
11. सुप्यार पुत्री मंगलदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
12. बुधादास पुत्र भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
13. प्रेमदास पुत्र भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
14. प्रभुदास पुत्र भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
15. रामचन्द्रदास पुत्र भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
16. बनारसी पुत्री भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
17. केसर पुत्री भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
18. रजनी पुत्री भगवानदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
19. राजुदेवी पत्नि पूर्णदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
20. नाबालिग प्रमेश्वरदास पुत्र पूर्णदास आयु 15 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता राजुदेवी पत्नि पूर्णदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
21. नाबालिग कोमल पुत्री पूर्णदास आयु 12 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका माता राजुदेवी पत्नि पूर्णदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
22. ओमदास पुत्र नानूदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
23. परसदास पुत्र नानूदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
24. श्रवणदास पुत्र नानूदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
25. आचू पुत्री नानूदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
26. प्रेमी पुत्री नानूदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
27. मनोहरी पुत्री नानूदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
28. बनवारीदास पुत्र अन्नीदेवी पुत्री रामदस जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर
29. गणपतदास पुत्र मालीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर
30. भेरदास पुत्र मालीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर
31. प्रेमदास पुत्र मालीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर
32. सोनी पुत्री मालीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर
33. चिना पुत्री मालीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
34. तुलछा पुत्री मालीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
35. नेमदास पुत्र मोहनीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

36. ओमदास पुत्र मोहनीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
37. बनारसी पुत्री मोहनीदेवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
38. नाथूदास पुत्र सरस्वती देवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
39. टीकुदास पुत्र सरस्वती देवी पुत्री रामदास जाति कामड निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू
40. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीदासर जिला चूरू
41. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू
42. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. मनोज एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28-8-2025

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट. के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तिलोकाराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी गुसांईसर तहसील रतनगढ जिला चूरू राजस्थान प्रान्त का हूँ। जो कि मेरे कब्जा, काश्त, खातेदारी की कृषि भूमि आपके उपखण्ड क्षेत्र बीदासर में स्थित ग्राम ढिगारिया में खेत खसरा संख्या 515/230 तादादी 1.8337 हेक्टेयर स्थित है जिसको मैं काश्त करता आ रहा हूँ। मेरी उक्त कृषि भूमि के वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। इस कारण से मैं कभी किसी खेत में सें व कभी किसी खेत में सें अपने खेत जाता हूँ। मुझे मेरे खेत में आने जाने हेतु काफी परेशानी हो रही है तथा पडौसी खातेदार मुझे अपने खेत में जाने नहीं देते है। मेरे खेत के नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा संख्या 231 की पश्चिमी सींव से गुजरने वाला लगता है। इस कटाणी रास्ता के अलावा मेरे खेत के और कोई नजदीकी कटाणी रास्ता नहीं है। इस कारण मैं प्रार्थी अब अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 514/230 तादादी 3.6675 हेक्टेयर की उतरी सींव के पास–पास व अप्रार्थी संख्या 2 ता 39 के खेत खसरा संख्या 231 तादादी 0.6071 हेक्टेयर की उतरी सींव के पास–पास 30 फुट चौडा नया रास्ता कायम करवाना चाहता हूँ। इस रास्ता के अलावा मुझ प्रार्थी के खेत में आवागमन का ओर कोई रास्ता मौजुद नहीं है। मुझ प्रार्थी को इस रास्ता की सख्त आवश्यकता है। मुझ प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मुझ प्रार्थी को रास्ता की आत्यातिक आवश्यकता है तथा आवेदित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। मुझ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 39 से कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के खेत में जाने का स्थाई रास्ता नहीं है और तुम्हारे खेत का कटाणी रास्ता सबसे नजदीकी है। इस कारण तुम्हारे खेत में सें मुझे रास्ता दिया जावे। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 39 ने रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया। इस रास्ता के अलावा मुझ प्रार्थी के खेत में जाने हेतु अन्य कोई नजदीकी कटाणी रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 39 ने मुझ प्रार्थी को रास्ता देने हेतु साफ मना कर दिया। इस कारण मुझ प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि न्यायालय से अपने खेत खसरा संख्या 515/230 वाके रोही ढिगारिया में जाने के लिए अपने पडोस में पश्चिमी दिशा में स्थित खेत खसरा संख्या 514/230 की उतरी सींव के पास–पास व खसरा संख्या 231 की उतरी सींव के पास–पास 30 फुट चौडा नया रास्ता की घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक कटाणी रास्ता अंकित करायें जिसके लिए मुझ प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा मैं प्रार्थी जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारीत

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

दर से रास्ते की भूमि का प्रतिकर अदा करने को तैयार हूँ। इसलिए मैं प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क (1) के अन्तर्गत अनुमति हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूँ। आदि–आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कटाणी रास्ता करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 41 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 41 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 42 तहसीलदार बीदासर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। जो शामिल मिसल है। तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट इस प्रकार से है कि प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत मे जाने के लिए किसी रास्ते का उपयोग नहीं कर रहा है और ना ही प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की उसको सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी प्रतिकर की रकम देने व भूमि के बदले भूमि देने के लिए सहमत है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 41 प्रतिकर की रकम लेने व भूमि के बदले भूमि लेने पर भी सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता पर कोई पेड व निर्माण नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी तथा तहसीलदार बीदासर की मौका जाचं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाता है कि :–

तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट अनुसार रोही ढिगारिया के खसरा संख्या 231 तादादी 0.6071 हेक्टेयर की पश्चिमी सींव के पास स्थित कटाणी मार्ग से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 515/230 तादादी 1.8337 हेक्टेयर भूमि में जाने हेतु खसरा संख्या 231 तादादी 0.6071 हेक्टेयर की उतरी सींव के पास पास 30 फुट चौडा रास्ता का क्षेत्रफल 0.0052 हेक्टेयर का प्रतिकर व खसरा संख्या 514/230 तादादी 3.6675 हेक्टेयर की उतरी सींव के पास पास 30 फुट चौडा रास्ता का क्षेत्रफल 0.1889 हेक्टेयर का प्रतिकर वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार गणना कर डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 39 को उनके हिस्सा अनुसार अलग–अलग सुपुर्द किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 39 से उनके हिस्सा अनुसार अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्राप्ति ली जावे तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 39 को उनके हिस्सा अनुसार अलग–अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट सुपुर्द करने के बाद ही उपरोक्तानुसार नया कटाणी रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जावे। रास्ता की भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। खर्चा मुकदमा प्रार्थी स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-8-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)